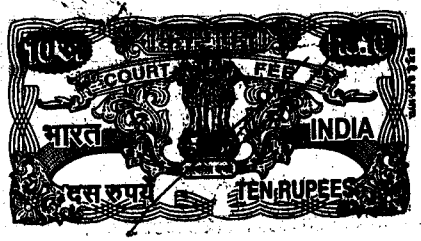

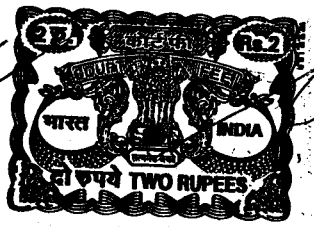

(85)

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक मिस. 885 I /12

शरदकुमार पिता सत्यनारायण जी गगरानी
निवासी नीमच म0प्र0 —— आवेदक

विरुद्ध

1. अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन
2. म0प्र0शासन —— अनावेदक

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 29 म.प्र. भू– राजस्व संहिता, 1959

आज दि. 10/5/12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

1– यहकि आवेदक ने कलेक्टर महोदय, जिला नीमच, म0प्र0 के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि की अदला–बदली हेतु प्रस्तुत किया था जो प्रकरण कमांक 06/ए/19(4)/06–07 पर दर्ज किया गया । जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात दिनांक 29–04–06 को भूमि की अदला–बदली का आदेश आवेदक के पक्ष में पारित किया गया था और तद्नुसार उक्त आदेश का पालन किया गया । उसके पश्चात आवेदक द्वारा उस भूमि को उन्नत बनाए जाने में काफी धनराशि व्यय की है ।

2– यहकि श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पत्र कमांक 11076/एफ–88/रीडर–1/2011 दिनांक 3–12–11 के अनुकम में कलेक्टर के आदेश को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है

3– यहकि, इसके पश्चात अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग द्वारा आवेदक को दिनांक 29–2–12 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने का आदेश दिया गया एवं दिनांक 30–3–12 को आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरण में दिनांक 16–4–12 जबाव हेतु नियत की गई है ।

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक मिसलेनियम 885–एक/2012 **जिला नीमच**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री बी0एन0त्यागी पेनल लॉयर उपस्थित । यह विविध प्रकरण संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत अपर आयुक्त से प्रकरण आयुक्त अथवा अन्य अपर आयुक्त को सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने से संबंधित है। यह प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है, परन्तु आवेदक द्वारा इसके निराकरण में रूचि नहीं ली जा रही है । इसके अतिरिक्त लगभग 7 वर्ष में जिन अपर आयुक्त से प्रकरण स्थानान्तरित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उनका स्थानान्तरण हो चुका होगा । अतः अब इस प्रकरण के निराकरण का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	